भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2767
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण सड़कों की मरम्मत

2767. श्री अनन्त नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों की मरम्मत में देरी हो रही है और यदि हां, तो विशेष रूप से क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में प्रभावित समुदायों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार सड़कों की मरम्मत की गुणवत्ता की जाँच किस प्रकार करती है और आवंटित धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा तंत्र अपनाया जाता है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग) "ग्रामीण सड़क" राज्य का विषय है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 से कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में निर्धारित जनसंख्या वाली पात्र संपर्कविहीन बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए एक बारगी विशेष कार्यकलाप के रूप में लागू किया जा रहा है।

पीएमजीएसवाई सड़कें मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार उसी ठेकेदार के साथ निर्माण अनुबंध के साथ किए जाने वाले 5-वर्षीय रखरखाव अनुबंध के अंतर्गत आती हैं। चूंकि पीएमजीएसवाई सड़कों का अभिकल्पित जीवन काल दस वर्ष है, इसलिए राज्यों को अगले पांच वर्षों का रखरखाव करना पड़ता है। पीएमजीएसवाई-III को लागू करते समय, पांच साल

के बाद के रखरखाव के लिए राज्यों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पीएमजीएसवाई-IV के तहत नई सड़क संपर्कता की अनुमति केवल उन्हीं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाएगी जिन्होंने ग्रमीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ईमार्ग) प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह प्रदर्शित किया है कि उनके राज्य में निर्मित पीएमजीएसवाई सड़कों का, सड़क निर्माण के 5 वर्ष बाद का नियमित रखरखाव किया गया है। ई-मार्ग के पांच साल बाद के निर्माण मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार प्रारंभिक पुनर्स्थापन, नवीनीकरण, नवीनीकरण-पूर्व नियमित रखरखाव, नवीनीकरण-पश्चात रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत कार्य शामिल हैं।

अनुबंध की शर्तों को पूरा करने के लिए रखरखाव निधि का बजट राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है और इसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाना चाहिए। निर्माण के 5 साल बाद के इस रखरखाव की समाप्ति पर, पीएमजीएसवाई सड़कों को जोनल रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाना आवश्यक है जिसमें समय-समय पर रखरखाव चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 साल का रखरखाव शामिल है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित किया जाना है। सभी राज्यों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा, राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा तैयार की गई नीतिगत ढांचे के आधार पर अपनी ग्रामीण सड़क रखरखाव नीतियां बनाई हैं।

क्योंझर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का कार्य समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। क्योंझर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावित समुदायों से पीएमजीएसवाई के तहत "बोदापलासा से केम्पसाडा तक" सड़क की मरम्मत में देरी के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। यह सड़क 5 साल की दोष देयता अवधि (डीएलपी) के अंतर्गत है। शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य में संबंधित क्षेत्र अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन किया गया था, और निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, निष्पादन एजेंसी को उक्त सड़क के रखरखाव कार्य को तुरंत शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

(घ) ग्रामीण सड़क रखरखाव के लिए निधियों के गुणवत्तापूर्ण और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने निम्नलिखित बहु-स्तरीय निगरानी और प्रवर्तन तंत्र स्थापित किए हैं:

(i) स्वतंत्र गुणवत्ता जांच: मंत्रालय सड़क कार्यों का यादृच्छिक निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) को तैनात करता है। काम किसी भी निम्नस्तरीय को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य को तुरंत सूचित किया जाता है।

(ii) ई-मार्ग के माध्यम से डिजिटल निगरानी: ई-मार्ग पोर्टल, जो अब सभी राज्यों में चालू है, दोष देयता अवधि (डीएलपी) के दौरान सड़क की स्थिति और रखरखाव अनुपालन की प्रभावी ट्रैकिंग सक्षम बनाता है। भू-संदर्भित चित्र आधारित साक्ष्य अपलोड करना पारदर्शिता और समय पर निष्पादन सुनिश्चित करता है।

(iii) प्रदर्शन से जुड़ी निधि जारी करना: पीएमजीएसवाई के तहत कार्यक्रम निधि का केंद्रीय अंश राज्यों द्वारा अपने रखरखाव दायित्वों को पूरा करने पर निर्भर है। राज्यों को चालू वर्ष के रखरखाव कोष के न्यूनतम प्रतिशत की निकासी को प्रमाणित करना होगा, यानी मई के बाद प्रस्तुत निधि निकासी प्रस्तावों के लिए 50% और नवंबर के बाद प्रस्तुत प्रस्तावों के लिए 100%।

(iv) आवधिक समीक्षा और राज्य-स्तरीय निगरानी: मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकों के दौरान निधि के उपयोग और रखरखाव की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करता है। राज्यों को समय पर निरीक्षण करने और निर्धारित रखरखाव चक्रों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

(v) समझौता ज्ञापन (एमओयू): योजना में भागीदारी यह अनिवार्य करती है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे, जिसमें प्रारंभिक और विस्तारित रखरखाव दोनों चरणों के लिए पर्याप्त निधि का प्रावधान करने की प्रतिबद्धता हो।

*****